न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : राहुल श्रीवास्तव (आई0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 1059/2020

अनवान : –

1. रोशनी पुत्री पालाराम जाति नायक निवासी चक 4 आरपीएम तहसील नोहर।

– वादी

बनाम्

1. पालाराम पुत्र चुन्नीराम जाति नायक निवासी चक 4 आरपीएम तहसील नोहर।
2. अनमोल पुत्र सुरेन्द्र पुत्र पालाराम जाति नायक निवसी चक 4 आरपीएम तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़ जरिये नाबालिग जरिये संरक्षक नाना रणजीत पुत्र नामलुम जाति नायक निवासी खोखर तहसील डबावाली जिला सिरसा।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।
4. पंजीयक कार्यालय नोहर तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88–89 ,राजस्थान काश्त0 अधि0 1955

उपस्थिति :– श्री महेशचन्द्र शर्मा अधिवक्ता **वादी**
श्री हवासिंह पूनिया अधिवक्ता **प्रतिवादी**

निर्णय दिनांकः 02/12/25

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा 4 आरपीएम तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2071–74 के खाता स0 137/137 की कुल 17.2040 हैक्ट भूमि में से 21/4301 हिस्सा भूमि व रोही मौजा 17 केएनएन तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2077–80 के खाता स0 68 की कुल 2.0240 हैक्ट भूमि में से 463/2024 हिस्सा भूमि प्रतिवादी स0 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

उक्त भूमि वादी की दादालाई खातेदारी भूमि है जो की वर्तमान में प्रतिवादी स0 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है उक्त भूमि पूर्व में वादी के दादा के नाम थी। प्रतिवादी स0 1 द्वारा अपनी दादालाई भूमि में से अपने हिस्से की भूमि का पूर्व में ही बेचान किया जा चुका है इसलिए अब शेष भूमि में प्रतिवादी स0 1 का कोई हक हिस्सा नही है। प्रतिवादी स0 1 के कर्ता हिन्दु खानदान होने के कारण प्रतिवादी स0 1 अकेले के नाम दर्ज हो गयी। वाद भूमि पैतृक भूमि होने के कारण वादी व प्रतिवादीगण संख्या 2 का प्रतिवादी स0 1 के साथ जन्मजात हक हिस्सा है। इसलिए उक्त वाद भूमि में प्रतिवादी स0 1 का नाम कलमजन किया जाकर वादीया व प्रतिवादी स0 2 को बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे। यही बिनाय दावा है।

वादीया ने प्रतिवादीगण को कई दफा कहा कि वादी के हक व हिस्सा की भूमि को उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो वह लिखित तक आजकल आजकल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2025.12.03 18:00:23 IST
Reason: SelfAttested

अतः वादीया का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावें की भूमि के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बंटवारे के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने के अधिकारी है। वादीया का वाद डिक्री फरमाया जावें।

Rahul
उपखण्ड अधिकारी
नोहर

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के बाद प्रतिवादी सं0 2 ने जरिये अधिवक्ता वादीया के वाद को स्वीकार करते हुए इकबाल दावा पेश किया जाकर निवेदन किया की वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादीगण संख्या 2 को कोई ऐतराज नही है। प्रतिवादी स0 1 को सम्यक नोटिस तामील होने के बाद भी प्रतिवादी स0 1 उपस्थित नही अतः प्रतिवादी स0 1 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी। वादी ने वाद के समर्थन में बतौर दस्तावेजी साक्ष्य नवीनतम व पुरानी जमाबंदी पेश की जो की शामिल मिसल की गई।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का इकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी के द्वारा शपथ पत्र पेश किया गया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने कथन किया कि उक्त भूमि वादी की दादालाई खातेदारी भूमि है जो की वर्तमान में प्रतिवादी स0 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है उक्त भूमि पूर्व में वादी के दादा के नाम थी। प्रतिवादी स0 1 के कर्ता हिन्दु खानदान होने के कारण प्रतिवादी स0 1 अकेले के नाम दर्ज हो गयी। वाद भूमि पैतृक भूमि होने के कारण वादी व प्रतिवादीगण संख्या 2 का प्रतिवादी स0 1 के साथ जन्मजात हक हिस्सा है। इसलिए उक्त वाद भूमि में प्रतिवादी स0 1 का नाम कलमजन किया जाकर वादीया व प्रतिवादी स0 2 को बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे। प्रतिवादी स0 2 द्वारा वादी के वाद को स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के संबंध में कोई एतराज नही है। अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबूतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावें।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वाद में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा 4 आरपीएम तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2071–74 के खाता स0 137/137 की कुल 17.2040 हैक्ट भूमि में से 21/4301 हिस्सा भूमि व रोही मौजा 17 केएनएन तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2077–80 के खाता स0 68 की कुल 2.0240 हैक्ट भूमि में से 463/2024 हिस्सा भूमि प्रतिवादी स0 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है। वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजो के मुताबिक उक्त वाद भूमि पैतृक भूमि होना साबित है वादी द्वारा पत्रावली में दर्शाये गये सजरा खानदान के अलावा प्रतिवादी स0 1 के अन्य कोई वारिस नही होना स्वीकार किया गया है वादी का कथन है कि वाद भूमि पैतृक भूमि होने के कारण वादी व प्रतिवादीगण संख्या 2 का प्रतिवादी स0 1 के साथ जन्मजात हक हिस्सा है। इसलिए उक्त वाद भूमि में प्रतिवादी स0 1 का नाम कलमजन किया जाकर वादीया व प्रतिवादी स0 2 को बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे, वादी के उक्त कथनों को प्रतिवादी स0 2 द्वारा स्वीकार करते हुए इकबाल पेश किया है कि वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो हमें कोई ऐतराज नही है वादीया द्वारा प्रस्तुत बैयनामा के मुताबिक

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2025.12.03 18:00:23 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर
Rahul

प्रतिवादी स0 1 द्वारा अपने हिस्से की भूमि का पूर्व में बैचान किया जा चुका है। अतः वाद वादीया साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादी स0 2 की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण स्वीकार योग्य है।

अतः वाद वादीया साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादी स0 2 की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादीया मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा 4 आरपीएम तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2071–74 के खाता स0 137/137 की कुल 17.2040 हैक्ट भूमि में से 21/4301 हिस्सा भूमि व रोही मौजा 17 केएनएन तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2077–80 के खाता स0 68 की कुल 2.0240 हैक्ट भूमि में से 463/2024 हिस्सा भूमि प्रतिवादी स0 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, उक्त दोनों खातों में प्रतिवादी स0 1 का नाम कलमजन किया जाकर वादीया व प्रतिवादी स0 2 दोनों को बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 02/12/25 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Rahul

(राहुल श्रीवास्तव I.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2025.12.03 18:00:23 IST
Reason: SelfAttested

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : राहुल श्रीवास्तव (आई0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 1059 / 2020

अनवान : –

1. रोशनी पुत्री पालाराम जाति नायक निवासी चक 4 आरपीएम तहसील नोहर।

– वादी

बनाम्

1. पालाराम पुत्र चुन्नीराम जाति नायक निवासी चक 4 आरपीएम तहसील नोहर।
2. अनमोल पुत्र सुरेन्द्र पुत्र पालाराम जाति नायक निवसी चक 4 आरपीएम तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़ जरिये नाबालिग जरिये संरक्षक नाना रणजीत पुत्र नामलुम जाति नायक निवासी खोखर तहसील डबावाली जिला सिरसा।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।
4. पंजीयक कार्यालय नोहर तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 1059 सन 2020 निर्णय दिनांक 02/12/25

आज यह वाद मुझ राहुल श्रीवास्तव उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील वादी श्री महेशचन्द्र शर्मा एवं वकील प्रतिवादी श्री हवासिंह पूनियां की उपस्थिति में निर्णयार्थ / अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादीया साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादी स0 2 की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादीया मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा 4 आरपीएम तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2071–74 के खाता स0 137 / 137 की कुल 17.2040 हैक्ट भूमि में से 21 / 4301 हिस्सा भूमि व रोही मौजा 17 केएनएन तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2077–80 के खाता स0 68 की कुल 2.0240 हैक्ट भूमि में से 463 / 2024 हिस्सा भूमि प्रतिवादी स0 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, उक्त दोनों खातों में प्रतिवादी स0 1 का नाम कलमजन किया जाकर वादीया व प्रतिवादी स0 2 दोनों को बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 02/12/25 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

Rahul.

(राहुल श्रीवास्तव I.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2025.12.03 18:00:23 IST
Reason: SelfAttested